

04.01.22

पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। बार-बार आवाज
दिलाने जाने के उपरान्त भी न अपीलान्त स्वयं
और न अधिवक्ता अपीलान्त उपर आये। अधि
रेखो: उप०। अतः पत्रावली अदम हाजरी, अदम
पैरवी में रवारिज की जागी है। पत्रावली फैसल
शुमार लेकर नम्बर से कम की जावे। बाद जादा
दारबिल दफतर छे।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दिनेश शर्मा
एडवोकेट
प-1-2022